



भारत सरकार
Government of India
 कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
 Ministry of Agriculture and Farmers Welfare
 कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग
 Department of Agriculture, Cooperation and Farmers Welfare
 उत्तर पूर्वी क्षेत्र कृषि यंत्र प्रशिक्षण एवं परीक्षण संस्थान,
FARM MACHINERY TRAINING & TESTING INSTITUTE (NER)
 विश्वनाथ चारिआलि, जिला- विश्वनाथ (असम)
Biswanath Chariali: Biswanath: Assam-784176



Web site: <http://nerfnti.nic.in>

E-mail : fnti-ner@nic.in

सं. 19-1/2008-RTI -256

दिनांक: 13 सितम्बर, 2016

प्रति,

सुश्री प्रियंका
 डब्लु जेड 725, पालम गाँव
 नजदिक पुराना सिंडिकेट बैंक
 नई दिल्ली-110045

विषय - सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6 के अन्तर्गत सूचना प्रदान करना ।

महोदय,

उपरोक्त विषय पर आपके पत्र संख्या दिनांक 06.02.2016 जो मंत्रालय के पत्र संख्या 9-21/2016-एम.& टी (प्रसाशन) दिनांक 17 फरवरी, 2016 द्वारा धारा 6(3) के तहत प्रेषित की गई है के संदर्भ में इस संस्थान की सूचना निम्न प्रकार है-

क.स.	मांगी गई सूचना	उत्तर
1	कृषि एवं सरकारिता विभाग के अन्तर्गत सबऑर्डिनेट - कार्यालयों के नामों की सूचना देने का कष्ट करें ।	इस संस्थान कृषि एवं सरकारिता विभाग के अन्तर्गत सबऑर्डिनेट कार्यालय है।
2	वर्ष 2011 से आज तक रहे इन कार्यालयों के निदेशक एवं विभागाध्यक्ष के नामों व उनके अवधि की सूचना प्रदान करने का कष्ट करें ।	श्री एम.के विश्वकर्मा-24.06.2009 से 31.01.2015 श्री जे.जे.आर. नरवरे- 12.02.2015 से 17.05.2016
3	इन कार्यालयों के निदेशक एवं विभागाध्यक्षों द्वारा सरकारी वाहन का सरकारी एवं प्राईवेट कार्य के लिए इस्तेमाल किया जाता है । यदि हाँ तो नियम से अवगत करवाने का कष्ट करें ।	सिर्फ सरकारी कार्य के लिए इस्तेमाल किया जाता है ।
4	इन कार्यालयों के निदेशक एवं विभागाध्यक्षों के कमरों में सभी प्रकार के सज्जों सामानों की सूचना से प्रदान करने का कष्ट करें ।	सामान्य फार्निचर, फोन, इंटरनेट इत्यादि।
5	ये इन सामानों के पात्र है यदि हाँ तो नियम से अवगत तथा एक छाँया प्रति प्रदान करने का कष्ट करें ।	सामान्य नियम के अनुसार है जो कार्य चलाने के लिए आवश्यक है।

6	इन कार्यालयों के निदेशक एवं विभागाध्यक्षों के रुम में लगे ए.सी. के पिछले 10 सालों का विवरण की सूचना प्रदान करने का कष्ट करें।	एक हिमगिरी मैक का ए.सी. लगा हुआ है।
7	इन कार्यालयों से कृषि एवं सरकारिता विभाग में कार्यरत अधिकारियों के पास तैनात किए गए सभी कर्मचारियों उनके अधिकारियों के नामों तथा नियम की सूचना प्रदान करने का कष्ट करें।	कोई नहीं।
8	कृषि एवं सरकारिता विभाग के अधिकारियों को कृषि एवं सरकारिता विभाग से कर्मचारी नहीं दिये जाते हैं यदि हों तो सबअडिनेट कार्यालयों से कर्मचारियों को तैनात किये गये - नियम संबंधी सूचना प्रदान करने का कष्ट करें।	चूंकि यह सबअडिनेट कार्यालय होने के नाते जानकारी संबंधित नहीं है।
9	सबअडिनेट कार्यालयों में अधिकारियों एवं कर्मचारियों का संख्या अवगत कहवाने का कष्ट करें।	कुल स्वीकृत संख्या 34 समूह 'क' - 2 समूह 'ख' - 5 (3 अराजपत्रित) समूह 'ग' - 27
10	विस्तार निदेशालय से कृषि एवं सहकारिता विभाग में तैनात किये गये कर्मचारियों की संख्या व उनके अधिकारियों के नामों की सूचना प्रदान करने का कष्ट करें।	संबंधित नहीं है।
11	विस्तार निदेशालय के निदेशक प्रशासन के पद की पिछले 20 सालों के Recruitment Rules (RR) की तथा वर्तमान की Recruitment Rules (RR) की छाया प्रति उपलब्ध करवाने का कष्ट करें।	संबंधित नहीं है।
12	विस्तार निदेशालय में निदेशक प्रशासन के पद के Recruitment Rules (RR) को बदलने के कारण से अवगत करवाये।	संबंधित नहीं है।
13	क्या इससे पूर्व में विस्तार निदेशालय में उप निदेशक (लेखा) को पदोन्नती से निदेशक प्रशासन के पद पर तैनात किया जा सकता था। यदि हों तो नियम की प्रति उपलब्ध कराएँ।	संबंधित नहीं है।
14	विस्तार निदेशालय के निदेशक प्रशासन के पद Recruitment Rules के बदले जाने वाली मिसल की छाया प्रति उपलब्ध करवाई जाए।	संबंधित नहीं है।
15	विस्तार निदेशालय के आहरण संवितरण अधिकारी पद को पुराने व वर्तमान Recruitment Rules के छाया प्रति उपलब्ध करवाने का कष्ट करें।	संबंधित नहीं है।
16	विस्तार निदेशालय में पिछले कर्मचारियों को वर्षों में सभी 10 दिए गए मिमो. चेतावनी की एक छाया प्रति प्रदान करने का कष्ट करें।	संबंधित नहीं है।

17	विस्तार निदेशालय में पिछले वर्षों के किए गए सर्विस Dies Non , पेय से रिकवरी तथा छुट्टियाँ नामंजूर किए गए अधिकारियों एवं कर्मचारियों के नामों से अवगत करवाने का कष्ट करें।	संबंधित नहीं है।
18	अधिकारियों एवं कर्मचारियों छुट्टियाँ होने के बाद भी सर्विस Dies Non , पेय से रिकवरी तथा छुट्टियाँ नामंजूर किए गए हैं, यदि हों तो इनकी छुट्टियाँ नामंजूर करने का कारण की सूचना से अवगत करवाने का कष्ट करें।	संबंधित नहीं है।
19	इन अधिकारियों एवं कर्मचारियों को सर्विस Dies Non , पेय से रिकवरी तथा छुट्टियाँ एक साथ ही काट कर दण्डित किया गया है। यदि हों तो नियम से अवगत करवाये।	संबंधित नहीं है।
20	इस प्रकार एक गलती पर उनको अनेक सजा दी सकती है, यदि हों तो नियम से अवगत करवाए।	संबंधित नहीं है।
21	अधिकारी एवं कर्मचारी द्वारा अर्जित अवकाश, आकस्मिक अवकाश के लिए आवेदन देने संबंधि नियम से अवगत करवाए।	संबंधित नहीं है।
22	विस्तार निदेशालय में अधिकारियों और कर्मचारियों को पिछले किसी प्रकार का प्रशिक्षण आठ वर्षों में 4ि दिया गया अवगत करवाए।	संबंधित नहीं है।
23	विस्तार निदेशालय में अधिकारियों और कर्मचारियों को ISTM आदि में प्रशिक्षण पर भेजने के लिए प्रशिक्षण सरकुलर सरकुलेट क्यों नहीं किए जाते।	संबंधित नहीं है।
24	ISTM आदि में प्रशिक्षण पर भेजने के लिए भाई भतीजे वाद का सहारा क्यों लिया जाता है।	संबंधित नहीं है।
25	किसी भी कैडर में सिनियर योग्य कर्मचारी के होते हुए जूनियर कर्मचारी को प्रशिक्षण पर क्यों भेजा जाता है।	सूचना शून्य मानी जाए।
26	विस्तार निदेशालय के निदेशक प्रशासन के सन से 2007 तक तथा अभि के 2014 Recruitment Rules (RR) की एक छाया प्रति प्रदान करने का कष्ट करें।	संबंधित नहीं है।
27	विस्तार निदेशालय में निदेशक प्रशासन पद के वर्तमान में किए गए Recruitment Rules (RR) आरचैज .आर. छाया प्रति उपलब्ध करवाने का संबंधि मिसिल की सम्पूर्ण कष्ट करें।	संबंधित नहीं है।
28	क्या कारण है कि निदेशक प्रशासन के पद Recruitment Rules (RR) को बदलवाने के लिए उप निदेशक प्रशासन के होते हुए मिसिल उप निदेशक द्वारा यह निर्णय लेकर (लेखा) जल्दी भेजा गया सक्षम प्राधिकारी और मंत्रालय तक बहुत उसमें उप निदेशक प्रशासन की अनदेखी क्यों की गई।	संबंधित नहीं है।

Issued
14.09.16

13.9.16

कृषि अभियन्ता एवं सी.पी.आई.ओ.

(जी.पी. मण्डल)

13/9/16

(2) निदेशक, उ.पू.क्ष.क.य.प. एवं प.स., बी. चारली, सादर सूचनाएं।

21/2016-M&T (प्रशासन) दिनांक 17 फरवरी के संदर्भ में सूचनाएं।

कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग, कृषि भवन, नई दिल्ली-110001-आपके पत्र संख्या 9-

(1) इंजी. एस. आर.देवाज, निदेशक-एम एण्ड टी एवं सी.पी.आई.ओ. कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, दिल्ली।

प्रतिनिधि-

कृषि अभियन्ता एवं सी.पी.आई.ओ.

(जी.पी. मण्डल)

12/9/16

भवदीय

Shri K.K. Nagle, Director
North Eastern Region Farm Machinery Training &
Testing Institute, Biswanath Chariali,
Dist. Biswanath, Assam, Pin-784176
Tel. No. 03715 - 222094, Fax No. 03715-230358

Name, Designation & Address of Appellate Authority

नोट- इस कार्यालय में हिन्दी तक उपलब्ध नहीं है जो रिक्त है।

29	विस्तार निदेशालय में पिछले वर्षों में किल कर्मचारियों को ओवर टाइम दिया गया और किलनालथा उन्होंने कहा कहीं इंग्रुटी की भी की छाया प्रति उपलब्ध करवाए जाए।	संबंधित नहीं है।
30	विस्तार निदेशालय में इंडररी की इंग्रुटी और प्रतिप्रक इंग्रुटी की नियम बनाए जाए।	संबंधित नहीं है।
31	विस्तार निदेशालय में इंडररी की इंग्रुटी होने की उपरान्त भी उनके इंग्रुटी के आवंटन को विस्तार किया गया, यह किस नियम के अन्तर्गत किया गया है छाया प्रति उपलब्ध कराए	संबंधित नहीं है।